इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2011—फाल्गुन 26, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2011

क्र. 7989 वि.स.-विधान-2011.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) जो विधान सभा में 17 मार्च 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०११

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निदिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

(एक) अनुच्छेद ५ में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घ) यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास या उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है. करार में यथा वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत.'';

(दो) अनुच्छेद २२ में, कालम २ में, परन्तुक में, खण्ड (छ) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुच्छेद ४५ में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) के सामने, कालम (२) में, शब्द, ''एक सौ रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०११-१२ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि राज्य सरकार ने अनुच्छेद ५ (घ) के अधीन स्थावर भू-सम्पत्ति कारबार में प्रयुक्त विकास करारों पर तथा अनुच्छेद ४५ (घ) (एक) के अधीन एक वर्ष की कालावधि के भीतर किसी अभिकर्ता को स्थावर सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने के मुख्तारनामा पर स्टाम्प शुल्क की दर में वृद्धि करने का विनिश्चय किया है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की अनुसूची १-क के अनुच्छेद २२ के अधीन पुरुषों के साथ ही स्त्रियों के पक्ष में हस्तांतरण पत्र पर स्टाम्प शुल्क समान दर से उद्गृहीत की जाए.

२. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १-क में यथोचित संशोधन किया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १० मार्च, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १ (२) द्वारा अधिनियम को प्रभावशील करने की तिथि अधिसूचित किए जाने संबंधी विधायनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.